

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**  
**आदेश**

रायपुर, दिनांक 16/09/2016

क्रमांक एफ 1-20/2014/स्था/चार :: राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2014 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रूपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रूपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से कंडिका 2.1 से 2.13 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लेखा सेवा लेखाधिकारी का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
1	1	सुश्री दिव्या वैष्णव, पिता- श्री कृष्णदास वैष्णव, पता- मातृछाया, मकान नं. 125, सेक्टर-01, सड़क नं.-02, प्रोफेसर कालोनी, रायपुर (छ.ग.)	अनारक्षित (महिला वर्ग)
2	2	सुश्री अंकिता सिंह, पिता- श्री ए. के. सिंह, पता- एस. डी.ओ. पी.एच. ई. डी. सब डिवीजन-पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)	अनारक्षित (महिला वर्ग)
3	3	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, पिता- श्री राम कीर्तन पाण्डेय, पता- रामसागर पारा, कुटी के पास, अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अनारक्षित
4	4	श्री मयंक कुमार गुप्ता, पिता- श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, पता- मेन रोड़, राम मंदिर के पास, डब्ल्यू-16, सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)	अनारक्षित

.....निरंतर..2

5	5	श्री निशान्त कुमार पाण्डेय, पिता- श्री राम रतन पाण्डेय, पता- पाण्डेय निवास, वार्ड क्र. 16, पाठक चाल, चंदनिया पारा, लिंक रोड़, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अनारक्षित
6	6	श्री ताम्रध्वज साहू, पिता- श्री पारस राम साहू, पता- ग्राम व पो. धौराभाठा, व्हाया- पाण्डुका, थाना- मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.)	अनारक्षित
7	7	सुश्री हिमशिखा साहू, पिता- श्री मुकुन्द साहू, पता- 31/1086, कालडा नर्सिंग होम के पीछे, कटोरा तालाब, रायपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला वर्ग)
8	8	श्री शशि कुमार चौधरी, पिता- श्री खेत सिंह चौधरी, पता- सी-13, यदुनंदन नगर, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)	विकलांग श्रेणी
9	9	सुश्री वंदना बिसेन, पिता- श्री दुलीचंद बिसेन, पता- एमआईजी-12, सहयोग पार्क, महावीर नगर, न्यू पुरैना, रायपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति (महिला वर्ग)
10	11	कु. डिम्पल नाग, पिता- श्री घासी राम नाग, पता- ग्राम भैंसाबेड़ा पारा, बड़ेडोंगर, पो. आ. बड़ेडोंगर, थाना- बड़ेडोंगर, तह. फरसगांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति (महिला)
11	12	श्री हेमचंद्र भूआर्य, पिता- डॉ. रूपेन्द्र कुमार भूआर्य, पता- C/o श्री एन. पी. भूआर्य, ग्राम- धीना, पोस्ट हड़गहन, तह. डौण्डी लोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति

2/- 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी।

.....निरंतर...3

(ब) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियाँ अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा।

(स) विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विकलांगता प्रमाण-पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाकर प्रस्तुत किया जाए।

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी।

2.4 सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा। यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।

2.5 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 से शासित होंगे।

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर अधिकारी के समक्ष (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

2.8 जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2.9 चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा ।

2.10 चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।

2.11 यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

2.12 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

2.13 उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*(ए.के. सिंह)* 16/09/2016  
उप सचिव

नया रायपुर, दिनांक 16/09/2016

पूठा क्रमांक एफ 1-20/2014/स्था/चार,  
प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय, रायपुर
3. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 361/07/चयन/2016/03, दिनांक 1.6.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
7. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
8. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
9. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. नया रायपुर। कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें। मेडिकल बोर्ड की बैठक तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को उसके वर्तमान पते पर सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।

.....निरंतर...5

10. संचालक, जनसंपर्क विभाग, रायपुर
11. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित हेतु
12. संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग, छत्तीसगढ़
13. समस्त कोषालय अधिकारी, ..... छत्तीसगढ़
14. संबंधित अभ्यर्थी .....

..... आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की पावती एवं सहमति अविलंब इस विभाग को भेजे एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर कार्यालय में मूल प्रमाण-पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

15. आर्डर बुक

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। -

*Arav*  
(ए.के. सिंह)  
उप सचिव  
16/09/2016